



Madhya Pradesh me Setriya Gramin Bankoke dwara krushi runo ki pragati aur mulyankan मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि ऋणों की प्रगति एवं मूल्यांकन

*Girish Surjan ** Dr. (Major) Satish Jain

* H.O.D., Management Department, St. Mary's P.G. College, Vidisha (M.P.)

** Pricpal, Governing Girls P.G. College, Vidisha (M.P.)

ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक साखू पूर्ति हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। देश के पांच लाख ख० हजार से भी अधिक गांवों में बसे ग्रामीण उपलब्ध के आधार पर अलग-अलग व्यवसाय में कार्यरत हैं, जिनमें कृषि प्रमुख हैं। भारतीय कृषि अर्थ व्यवस्था में कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत में कृषि केवल जीवोपार्जन का साधन ही नहीं है, बल्कि अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वे इसमें उद्योग धंधे, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्राजन, विभिन्न योजनाओं की सफलता एवं राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि पर निर्भर है अतः कृषि को सर्वाधिक प्रधानता देने की आवश्यकता है। यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार एवं राष्ट्र असफल रहते हैं। भारतीय कृषि में म०ख प्रतिशत जनसं या प्रत्यक्ष रूप से एवं इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में खेतीहर मजदूर के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगे हैं। कृषि कार्य में लगी हुई अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है एवं अनेक समस्याओं से ग्रसित है। वर्तमान समय में भारतीय कृषि सीमांत कृषि हो गई है, कृषक इतना नियोजन करता है उतना ही प्राप्त करता है साथ ही भारतीय कृषि मानसूनी रूपी जुआ होने से कभी-कभी विनियोजन की धनराशि भी पुनः प्राप्त नहीं होती। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है एवं भारत के गांव के विकास के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर अधिक धनराशि व्यय करने का सुझाव दिया था। जिससे कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या के भार को हटया जा सके एवं कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सके। गांव में पहली बेरोजगारी एवं अर्द्धबेरोजगारी को दूर किया जा सके। इस प्रकार गांव में कृषि एवं लघु कुटीर उद्योगों का विकास करके ही हम देश के आर्थिक विकास को तीव्र गति दे सकते हैं। इन सभी योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए गांव में एक ऐसी आधारभूत संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो ग्रामीणों को पर्याप्त साखू-सुविधाएं समय पर प्रदान कर सके।

भारत में सन् १-१-१९५१ में सहकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साखू की व्यवस्था की जाती रही है और प्रायः सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी बैंक कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त ऋ व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन बैंकों ने १-१-१९५१ नई शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलीं। इन सुविधाओं के होते हुए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संविधान में इसकी आवश्यकता के बारे में नि निम्नलिखित उल्लेख किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यापार वाणिज्य उद्योग तथा अन्य उत्पादन कार्यों के विकास के प्रयोजनार्थ प्रत्यक्ष तथा अन्य प्रसुविधाएं विशिष्ट छोटे और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को प्रदान करके ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन के लिए यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया।

इसके अतिरिक्त नि नि कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की। व्यापारिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे किसानों की साखू संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में रुचि नहीं दिखाई एवं १-१-१९५१ के पूर्व नाम मात्र की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थीं, जो कि जमा शाखाओं के रूप में ही थीं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात यह अपेक्षा की गई थी कि व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपना सक्रिय योगदान प्रदान करेंगे परंतु यह भी सपना सिद्ध हुआ। ग्रामीण व्यक्ति बैंक उसके क्रियाकलाप एवं उससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं से पूर्ण अनभिज्ञ था, जिसके फलस्वरूप वह साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ था, उसे ही अपना जन्मदाता मानता था, भारतीय कृषक के बारे में यह प्रचलित है कि वह एक बार साहूकार के चंगुल में फंस्ता है तो जीवन पर्यंत उस ऋण से पूर्ण नहीं होता है एवं अपनी विरासत में अपने वंशजों को ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व सौंपकर मरता है एवं वंशज पिता की आत्मा की शांति के लिए ऋणों को चुकाने रहते हैं। इस प्रकार देशी साहूकार पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण को वसूल करते हैं। साहूकारों की शोषण रूपी प्रवृत्ति के कारण बैंकों की आवश्यकता महसूस हुई अतः ग्रामीण क्षेत्रों को ऋणग्रस्तता से मुक्त एवं उन्हें पर्याप्त साखू-सुविधा सही समय पर प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आवश्यकता महसूस की गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा चलाई जा रही कृषि ऋण योजनाओं से ग्रामीण कृषकों का उन्नयन हो रहा है। वे आर्थिक विकास के साथ-साथ खेती के उन्नत तरीकों का उपयोग करने लगे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीणों के विकास में महती भूमिका निभा रहा है। आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण कृषक ऋण के साथ अन्य सभी ऋण भी अपने हितग्राहियों को प्रदान कर रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के इस काम में कई प्रकार की अड़चनें भी आती हैं। जैसे स्टाफ की कमी फिर भी वह अपने कार्य को कुशल तरीके से कर रहे हैं। इनकी कृषि ऋण योजनाओं में प्रगति लगातार हो रही है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के द्वारा अन्य योजनाएं एवं विकास कार्यक्रम ग्रामीणों

के उत्थान के लिए संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम एवं योजनाओं के लिए क्रियाव्ययन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महती भूमिका है। इन बैंकों की सहायता से ही कृषक परिवारों का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। कृषि के साथ व्यापार, उद्योग एवं अन्य उत्पादक कार्यों के लिए साखू सुविधा उपलब्ध कर कृषकों की आर्थिक प्रगति हो सकती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सहायता से कृषकों को सेठ साहूकारों के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है।

मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित कृषि ऋण

वर्ष	ख०	ख०	ख०	ख०	ख०	ख०	ख०
राशि (लाख रु. में)	१	२	३	४	५	६	७

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषक ऋण में साल दर साल वृद्धि हो रही है। इससे स्पष्ट है कि यह बैंक ग्रामीणों के विकास में सहायक है तथा भविष्य में यह कृषक ऋण में वृद्धि कर मग्न में कृषकों के आर्थिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक अपने काम में महती भूमिका निभा रहे हैं, राज्य सरकार को भी चाहिए कि इनकी समस्याओं का निराकरण बैंक को सुविधाएं प्रदान करे। जिससे यह और अच्छे तरीके से अपनी कृषि योजनाओं को चला सके।

उपसंहार -

आज इन समस्याओं के बावजूद भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सफल एवं संघर्षरत हैं। केन्द्र शासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना निश्चित ही एक सराहनीय कदम रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त पूर्वाग्रहों से ग्रसित परंपरागत अंधविश्वासी, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं बौद्धिक स्तर पर पिछड़ी हुई जनता को बैंको-मुक्त किया है। यह निर्विवाद सत्य है, कि जिन लोगों ने बैंक श द भी अपने जीवन में नहीं सुना, जो सदैव साहूकारों के दास बने रहे, बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते रहे, उन्हें साहूकार के चंगुल से मुक्त कराकर बैंको-मुक्त करना, यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। ग्रामीण बैंक, शासन की अन्य संस्थाओं पर जिस प्रकार अविश्वास करते हैं, प्रारंभ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए अविश्वास एक समस्या थी किंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने इस समस्या को भी तोड़ दिया। आज नगर गांव की ओर आ रहे हैं एवं गांव भी अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए नगरवासी जो गांव में आए हैं उनसे यह प्रेरणा ले रहे हैं, जिससे यह अविश्वास एवं दूरी समाप्त होकर विश्वास के भाईचारे में बदल गई। इसी का नतीजा यह हुआ कि वह व्यक्ति जो अपनी छोटी से छोटी बचत जमीन में गाड़कर रखता था या साहूकार के यहां अमानत के रूप में रखता था अब आत्मविश्वास के साथ बैंक में जमा करवा रहा है। इसीका नतीजा यह हुआ कि आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा वर्ष १-१-१९५१ तक पक्कमपक्क लाख रुपए की जमा राशि एकत्रित की गई।

इसी प्रकार विश्वास पैदा कर ग्रामीणों को कृषि के अतिरिक्त सहायक कुटीर एवं ग्रामोद्योग अथवा व्यवसाय के विकास में अवसर प्रदान किए हैं, जिसके साखू-सुविधा के रूप में धन का वितरण किया। जिससे कि हितग्राही अपनी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। नए-नए उद्योग एवं व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन भी ग्रामीणों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से दिया गया। जिससे प्रेरित होकर अनेक नए उद्योग एवं व्यवसायों की स्थापना गांव में हुई और वे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।

इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी जो सीमांत, भूमिहीन कृषक आज अंधकारमय जीवन निर्वाह कर रहे थे, उनके विकास के लिए ज्योति पुंज बनकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आया और उन्हें साखू-सुविधा प्रदान की। जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, सिंचाई के साधनों का विकास हुआ एवं जो कृषक आज गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहा था, विकास की ओर अग्रसर हुआ। साहूकारों के जुल्म, जमींदारों के आतंक से मुक्त होकर कृषक अपनी फसल को मंडी में लाने लग गए हैं।

ग्रामीण दस्तकार जो अंधेरे के गर्त में अपनी कला को खो रहा था, विल के अभाव में उचित कार्य नहीं कर पा रहा था। आज उसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से नई रोशनी प्राप्त हुई है, उसकी कला का प्रचार-प्रसार एवं विकास हुआ है, यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अपने क्षेत्र में देन रही है।

बहुत से विकलांग व्यक्तियों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से साखू-सुविधा प्राप्त हुई और वे व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से साखू सुविधा एवं शासन की ओर से ऋण में अनुदान प्राप्त हुआ। जिससे

उनके विकास को नई गति प्राप्त हुई है।

इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से कृषि उद्योग, ग्रामीण दस्तकार एवं लघु व्यवसायी को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नया आयाम प्रदान किया है, वहां व्यापक बेरोजगारी, निराशा को समाप्त कर रोजगार प्रदान किया एवं जीवन में नई आशा के सपने संजोए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से व लाख से अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई। यह भी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी उपलब्धि और कमा हो सकती है। इसके माध्यम से हजारों परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं।

यह ठीक है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वसूली समस्या व्यक्ति की नैतिकता का परिचय देती है। आज नैतिकता का स्तर भी गिरता जा रहा है, तो समस्या और विकराल होगी। भ्रष्टाचार वसूली की समस्या, मध्यस्थों की समस्या आज नैतिकता के विकास से ही हल की जा सकती है, इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषकों के आर्थिक उन्नयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शोधार्थी ने यह पाया कि इससे कृषकों को कृषि ऋण पाने में आसानी हो रही है और वह अपनी कृषि ऋण समस्याओं का निवारण आसानी से कर रहे हैं। जिन कृषकों ने इस बैंक से ऋण लिया है वह इसका सही उपयोग कर रहे हैं, थोड़ी विसंगतियां हैं जो समयानुसार सही हो जाएंगी। बैंक का मूल कार्य अब कृषि ऋण न देना होकर सभी कार्यों में सरकार की मदद करना भी है। जिससे इसकी कृषि ऋण योजनाएं उतने प्रभावी तरीके से नहीं चल पा रही हैं, जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था। अतः इन बैंकों का पूरा ध्यान कृषि ऋण योजनाओं में लगे इसके लिए सरकार को इन पर अन्य कार्यों का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए एवं इन बैंकों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करना चाहिए, जिससे यह अपनी योजनाओं का पूरा लाभ हितग्राहियों को दे सके। हितग्राहियों के दृष्टिकोण से इन बैंकों को एटीएम सुविधा भी मुहैया कराना चाहिए। जिससे कर्मचारियों के कार्य के बोझ में कमी आएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य क्षेत्र अब बढ़ गया है। जिससे इसके कार्य में वृद्धि हुई है। परंतु स्टाफ की कमी से यह अभी भी जूझ रहा है। यह समस्या भी निकट भविष्य में कम होने की संभावना है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस बैंक की स्थापना हुई थी, उनकी पूर्ति तीव्रता से करना हो तो इसकी समस्याओं का शीघ्रतापूर्वक हल खोजा जाना चाहिए, जिससे कि विकास को नई गति प्राप्त होगी एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में आधार स्तंभ बन सकेगा।

सुझाव -

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याओं के निराकरण हेतु इन उपायों पर ध्यान देना चाहिए -
- व. प्रत्येक कर्मचारी को शिक्षित, प्रशिक्षित एवं कुशल बनाया जाए।
- ख. ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की भावना को बढ़ावा दिया जाए।
- घ. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण पत्र, प्रोग्राम उस बैंक द्वारा ग्रामीण ऋण पत्रों द्वारा बढ़ाए गए उप साधनों

पर निर्भर होना चाहिए।

- ब. बड़े कृषकों से जो साधारण तथा बड़ी मात्रा में ऋणों का प्रयोग करते हैं, अधिक अंशदान अंशपूर्जी के रूप में दिया जाना चाहिए।
- घ. ऋण की स्वीकृति के पूर्व ऋण लेने वाले की संपूर्ण जानकारी ली जाए एवं ऋण वितरण के बाद यह भी देखें कि ऋण का समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं।
- द. ऋण स्वीकृति से संपत्ति/भूमि आदि की उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखा जाए।
- ख. छोटे कृषकों की कठिनाईयां विशेष रूप से ध्यान में रखकर उसे दूर किया जाए।
- त. ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में संशोधन कर ऋण वितरण में हो रहे विलंब को दूर किया जाए।
- बैंक को अपने कार्य सहकारी अधिकारियों की सहायता के बिना करना चाहिए।
- व. बैंक में जिला स्तर पर भ्रष्टाचार निवारण प्रकोष्ठ होना चाहिए।